# निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-86/ वर्ष 2016-17

**यह निरीक्षण प्रतिवेदन** कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ **द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।**

कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ **के माह** 02/2014 **से** 09/2016 **तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री** मुकेश कुमार, स.ले.प.अ., श्री योगेश त्यागी, स.ले.प.अ. एवं श्री मुकेश कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक **द्वारा दिनांक** 28.10.2016 **से** 07.11.2016 **तक श्री** हनुमान सिंह, **लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।**

**भाग-I**

1. **परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री** प्रभाकर दुबे, **सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी,** श्री रविशंकर, स.ले.प.अ. एवं श्री देवेंद्र दिवाकर, लेखापरीक्षक **द्वारा दिनांक** 19-02-2014 **से** 22-02-2014 **तक** श्री राकेश कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में **सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह** 11/2010 **से** 01/2014 **तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह** 02/2014 **से** 09/2016 **तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।**

2. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः** पिथौरागढ़ जनपद तथा अन्य जनपदों/स्थान के लोगों को जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ में विभिन्न प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी उपचार/सेवाएं उपलब्ध करना।

3 (i) विगत तीन वर्षो में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

**(धनराशि ` लाख में )**

| वर्ष | प्रारम्भिक अवशेष | | स्थापना | | गैर स्थापना | | आधिक्य | बचत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आवंटन | व्यय | आवंटन | व्यय | (+) | (-) |
| 2013-14 | - | - | 457.97 | 454.84 | 121.24 | 120.89 | - | 3.48 |
| 2014-15 | - | - | 590.48 | 590.42 | 178.91 | 178.86 | - | 0.17 |
| 2015-16 | - | - | 692.57 | 692.57 | 181.19 | 181.19 | - | - |
| 2016-17 (Upto Sept.) | | | 743.69 | 426.36 | 45.39 | - | | 362.77 |

(ii) **इकाई को बजट आवंटन** कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ."अ" श्रेणी की है।

(iii) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ को आच्छादित किया गया। यह **निरीक्षण प्रतिवेदन** कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिल चिकित्सालय, पिथौरागढ़ की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2015 एवं सितम्बर 2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(iv) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग–दो 'अ'

...............................शून्य..........................

## भाग–दो 'ब'

**प्रस्तर 1 : चिकित्सालय द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए बिना किसी अनुबंध/शर्तों के ठेकेदार को ` 41.44 लाख के ठेके प्रदान करना।**

वित्तीय नियमों के अनुसार किसी भी सरकारी संस्था द्वारा ठेकेदारों को सरकारी कार्य दिए जाने से पूर्व शर्तों सहित अनुबंध करना आवश्यक है।

जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि चिकित्सालय ने 2016–17 के लिए निम्नलिखित कार्यों के संचालन के लिए टेंडर आमंत्रित किए गए :

कार्य

| | | |
|---|---|---|
| 1) रोगियों के लिए भोजन व्यवस्था | – | ` 18 लाख |
| 2) चिकित्सालय की साफ–सफाई | – | ` 15.94 लाख |
| 3) वस्त्रों की धुलाई व्यवस्था | – | ` 7.5 लाख |

पाया गया कि सबसे कम बोली वाले ठेकेदारों को कार्यों की जिम्मेदारी दी गई। परन्तु यह भी पाया गया कि बिना किसी वैधानिक अनुबंध के एवं बिना शर्तों–नियमों के ठेकेदारों को ` 41.44 लाख के ठेके दे दिए गए जो कि वित्तीय नियमावली के विरूद्ध है।

चिकित्सालय ने उत्तर में कहा कि भविष्य में नियमों का ध्यान रखा जाएगा।

अतः चिकित्सालय द्वारा विभिन्न कार्यों के लिए बिना किसी अनुबंध/नियम शर्तों के ठेकेदारों को ` 41.44 लाख के ठेके प्रदान करने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

## भाग - दो-ब

**प्रस्तर: ` 2.97 करोड़ के चिकित्सा उपकरण का अनुपयोगी रहना।**

कार्यालय जिला चिकित्सालय के स्टोर/स्टॉक एवं उपकरण संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि 4.4.2016 को एक चिकित्सा उपकरण ESWL Machine मूल्य ` 2,97,15,000/- चिकित्सालय द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखंड, देहारादून से प्राप्त किए गए थे। आगे, लेखापरीक्षा जांच में पाया गया कि उक्त उपकरण प्राप्ति से लेखापरीक्षा की तिथि (11/2016) तक चिकित्सालय में अप्रयुक्त पड़े हुए थे। उक्त मशीन जनहित में स्थापित कर सुचारु रूप से क्रियाशील नहीं होने के कारण मरीजों को उक्त मशीन का लाभ नहीं मिल पा रहा था। लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि मशीन को स्थापित किए जाने की कार्यवाही गतिमान है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उपकरण की प्राप्ति से लगभग 8 महीने का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी मशीन को स्थापित कर प्रयोग मे नहीं लिया जा रहा है जिसके फलवरूप ` 2.97 करोड़ मूल्य के चिकित्सा उपकरण चिकित्सालय में अप्रयुक्त पड़े हुए है। अभी तक मशीन की स्थापना की प्रक्रिया गतिमान रहना एक गंभीर विषय है।

अतः प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>**STAN**</u>

**प्रस्तर: ` 19.63 लाख के surgical सामग्री  का अनियमित क्रय।**

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम 10 के अनुसार ऐसी सामाग्री और मदों के लिए जिन्हें सामान्य उपयोग की मदों के रूप में चिन्हित किया गया है और जिन की सरकारी विभागों और एजेंसियों को बार बार आवश्यकता होती है उसके लिए राज्य सरकार या राज्य सरकार के प्रशासनिक विभागों की क्रय समिति द्वारा '**<u>दर संविदा'</u>** की जा सकती है। दर संविदा के मूल्य, बाजार भाव या अन्य संगठनों में समान दर संविदाओं में दिये गए मूल्य से अधिक न हो। दर संविदा समान्यतः एक समय में एक वर्ष के लिए की जा सकेगी।

कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ के Chief Pharmacist अनुभाग के surgical सामाग्री क्रय संबंधी अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि अनुभाग द्वारा 2014-15 एवं 2015-16 में कुल धनराशि ` 19,63,164/- मूल्य के surgical items का आवश्यकतानुसार क्रय तीन फर्म i.e.Uttaranchal traders, Jaspur, Surya Medical & surgical, Haldwani and Himalayan Surgical, Haldwani से कोटेशन के आधार पर किया गया। लेखापरीक्षा में इसे इंगित करने पर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक के द्वारा इसे स्वीकार करते हुए कहा कि वर्तमान में surgical items का क्रय कोटेशन के आधार पर किया जाता है परंतु भविष्य में surgical items का क्रय उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम के अनुसार दर संविदा पर किया जाएगा।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि surgical items सामान्य उपयोग की सामाग्री के रूप में चिन्हित है एवं इसे उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के नियम दर संविदा के अनुसार क्रय किया जाना चाहिए न कि कोटेशन के आधार पर।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारी के संज्ञण में लाया जाता है।

**<u>भाग-III</u>**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

| निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या | भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या | भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या | STAN प्रस्तर |
|---|---|---|---|
| 60/2002-03 | - | 1 | - |
| 84/2005-06 | - | 1 | - |
| 147/2008-09 | 1 | 1 | 1 |
| 51/2010-11 | - | 1,2 | 1,2 |
| 174/2013-14 | - | 1,2,3 | 1 |

**<u>भाग-IV</u>**

**<u>इकाई के सर्वोत्तम कार्य</u>**

**शून्य**

**<u>भाग-V</u>**

**<u>आभार</u>**

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़ तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालन आख्या तथा नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणियों की अनुपालन आख्या।**

2. **सतत् अनियमितताएः- विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुपालन आख्या तथा नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणियों की अनुपालन आख्या।**

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

| **क्रम सं0** | **नाम** | **पदनाम** | **अवधि** |
|---|---|---|---|
| i | डॉ एच.सी.पाठक | प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक | 2/14 से 31/7/15 |
| ii | डॉ एन.एस.कुटियाल | प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक | 1/8/15 से 20/9/2015 |
| iii | डॉ हरीश लाल | प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक | 21/9/15 से 1/7/16 |
| iv | डॉ एस.के.मेहता | प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक | 2/7/16 से आज तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें, जिनका समाधान/निराकरण लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं किया जा सका है, उन्हें पृथक रूप से नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर अलग से **कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, पिथौरागढ़** को इस आशय से प्रेषित की गयी की वे लेखापरीक्षा टिप्पणी की प्राप्ति के एक माह के अन्दर उसकी अनुपालन आख्या सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, सी–1/105 वैभव पैलेस, इन्दिरानगर, देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

**लेखापरीक्षा अधिकारी**
**सामाजिक क्षेत्र**